

कार्यालय जिला पंचायत, रायपुर (छ.ग.)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ

// प्रशासकीय स्वीकृति आदेश //

क./ 1540 MGNREGA/2024-25

रायपुर, दिनांक 28/06/24

संचालक महिला एवं बाल विकास का पत्र क. 10648/250/मबावि/निर्माण/2024-25 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 02.02.2024 द्वारा नस्ती महात्मा गांधी नरेगा, 15वां वित्त/अन्य एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ अभिसरण कर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रत्र क्रमांक No. 11/4/2021-CD. I दिनांक 01.08.2022 के अनुसार प्रति भवन लागत राशि 11.69 लाख रु. में से मनरेगा अभिसरण अंतर्गत राशि रु. 8.00 लाख महिला बाल विकास विभाग द्वारा रूपये 2.00 लाख व्यय किया जाना निर्धारित है। राशि रु. शेष 1.69 लाख रूपये 15वां वित्त आयोग मद (कोई अन्य अनटाईड मद) से व्यवस्था की जानी है। रायपुर जिले के 68 आंगनबाड़ी भवन कार्य को मानक तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर उल्लेखित शर्तों पर निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	जनपद पंचायत	ग्रा. पं. का नाम	कार्य का नाम	तक.स्वी. क्र./दि.	प्रशासकीय स्वी. की राशि (रूपये लाख में)			महिला बाल विकास	15वां वित्त /डी.एम. एफ.	कुल योग	अर्जित मानव दिवस
					मज.	सा.	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	अभनपुर	गोतियारडीह	गोतियारडीह 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
2	अभनपुर	सिंगारभाटा	सिंगारभाटा 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
3	अभनपुर	कोलर	कोलर 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
4	अभनपुर	चंडी	चंडी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
5	अभनपुर	बिरोदा	बिरोदा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
6	अभनपुर	निमोरा	निमोरा 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
7	अभनपुर	सिवनी	सिवनी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
8	अभनपुर	तुता	तुता 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
9	अभनपुर	उपरवारा	उपरवारा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
10	अभनपुर	उल्बा	उल्बा	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
11	अभनपुर	खट्टी	खट्टी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
12	अभनपुर	संकरी	संकरी 3	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
13	अभनपुर	मोहदी	मोहदी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
14	अभनपुर	भुरका	भुरका 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
15	अभनपुर	पोंड	पोंड 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
16	अभनपुर	परसदा सोठ	परसदा 3	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
17	अभनपुर	जुलूम	जुलूम 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
18	अभनपुर	टेकारी	टेकारी 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
19	अभनपुर	मुनडरा	मुनडरा 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
20	अभनपुर	रवेली	रवेली 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
21	अभनपुर	पचेडा	पचेडा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
22	अभनपुर	पारागांव	पारागांव 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
23	अभनपुर	जौंदी	जौंदी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
24	अभनपुर	चंपारण	चंपारण 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498

Roshi

25	अभनपुर	कोलियारी	कोलियारी	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
26	अभनपुर	मानिकचौरी	मानिकचौरी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
27	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
28	अभनपुर	पिपरौद	पिपरौद 3	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
29	अभनपुर	टोकरो	टोकरो 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
30	अभनपुर	जवईबांधा	जवईबांधा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
31	अभनपुर	जामगांव	जामगांव 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
योग					37.51	210.49	248.00	62.00	52.39	362.39	15436
1	आरंग	डिघारी	डिघारी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
2	आरंग	करहीडीह	करहीडीह	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
3	आरंग	देवदा	देवदा 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
4	आरंग	नरियरा	नरियरा	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
5	आरंग	बरभाटा	बरभाटा	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
6	आरंग	राखी	राखी 02	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
7	आरंग	गुल्लू	गुल्लू 04	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
8	आरंग	अकोलीकला	अकोलीकला 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
9	आरंग	गौरभाटा	गौरभाटा	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
10	आरंग	कोरासी	कोरासी 02	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
11	आरंग	भैसमुडी	भैसमुडी 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
12	आरंग	लांजा	लांजा 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
13	आरंग	भैसमुडी	कुलीपोटा	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
14	आरंग	पांहदा	पांहदा 02	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
15	आरंग	रसनी	रसनी 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
16	आरंग	रसौटा	रसौटा 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
17	आरंग	तुलसी	तुलसी 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
18	आरंग	तुलसी	तुलसी 03	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
19	आरंग	कुरुद	कुरुद 03	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
योग					22.99	129.01	152.00	38.00	32.11	222.11	9461
1	धरसीवा	भैसमुडा	भैसमुडा 02	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
2	धरसीवा	कपसदा	कपसदा 02	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
3	धरसीवा	सिलतरा	सिलतरा 05	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
4	धरसीवा	मोहदी	मोहदी 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
5	धरसीवा	मुरा	मुरा 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
6	धरसीवा	टांडा	टांडा 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
7	धरसीवा	सिलयारी	सिलयारी 03	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498

Reshi

8	धरसीवा	रैता	रैता 01	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
9	धरसीवा	सेजवहार	सेजवहार हाउसिंग कॉलोनी	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
10	धरसीवा	दोंदेखुर्द	दोंदेखुर्द हाउसिंग वोर्ड कॉलोनी	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
योग					12.10	67.90	80.00	20.00	16.90	116.90	4979
1	तिल्दा	मोहरेगा	मोहरेगा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
2	तिल्दा	पचरी	पचरी 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
3	तिल्दा	आलेसुर	आलेसुर 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
4	तिल्दा	नहरडीह	नहरडीह	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
5	तिल्दा	भड़हा	भड़हा 1	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
6	तिल्दा	पाडाभाट	पाडाभाट	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
7	तिल्दा	धिवरा	धिवरा 2	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
8	तिल्दा	सरोरा	सरोरा 3	मानक प्राक्कलन	1.21	6.79	8.00	2.00	1.69	11.69	498
योग					9.68	54.32	64.00	16.00	13.52	93.52	3984
महायोग					82.28	461.72	544.00	136.00	114.92	794.92	33860

क्रियान्वयन एजेंसी निम्नलिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।


1. सचिव, छ.ग.शासन, पंचा. एवं ग्रा. विकास मंत्रालय का पत्र क्रमांक 1830 दिनांक 02.05.06 में दिये गये निर्देश के कंडिका 08 के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड धारक परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
2. उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग के अभिसरण से कराया जाना है। अतः स्वीकृति आदेश में अंकित राशि के आधार पर ही कार्य पर व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अप्रारंभ कार्यों को उक्त संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर तत्काल प्रारंभ कराये एवं अपूर्ण कार्यों को भी कार्य प्रगति के स्तर के पश्चात संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर ही आगे का कार्य कराया जायेगा।
4. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु गठित सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का प्रमाणपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।
6. योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेंगी। ठेकेदारी/बिचौलिये से कार्य कराते हुए पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के कार्य निरस्त कर दिया जावेगा एवं व्यय की गई राशि संबंधित एजेंसी से वसूल किया जायेगा। कार्य संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीन (Labour displacing machine) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
7. कार्य स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, छाया हेतु शेड, झूलाघर इत्यादि उपलब्ध कराया जावे।

Rishi

8. योजनांतर्गत कार्यरत व्यक्ति को चोट लगने अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से अस्थायी अपंगता की स्थिति में कियान्वयन एजेंसी द्वारा निःशुल्क आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ।
9. मस्टर रोल में श्रमिक का परिवार रोजगार कार्ड कमांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावे ।
10. कियान्वयन एजेंसी को मस्टर रोल की एक प्रति अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायतों की अभिलेखों में पूर्ति हेतु उपलब्ध करानी होगी ।
11. कियान्वयन एजेंसी को संबंधित जनपद पंचायत से कार्यवार मस्टर रोल प्राप्त करना होगा ।
12. मस्टर रोल पर दर्शाये गए श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस, अकार्य दिवस के विवरण रोजगार गारंटी दिवस का चौपाल में पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा ।
13. ग्राम पंचायत/कियान्वयन एजेंसी द्वारा मजदूरी भुगतान का विवरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जाएगा तथा यह भुगतानकर्ता का दायित्व होगा ।
14. जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी भी कियान्वयन एजेंसी के कार्य आरंभ में असफल होने पर कियान्वयन एजेंसी को बदलकर अन्य एजेंसी का निर्धारण कर सकेगा ।
15. इस राशि का लेखा-जोखा बिल्कुल अलग रखा जावे ।
16. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ करके 03 माह के भीतर पूर्ण कराया जावे ।
17. कियान्वयन एजेंसी राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 20 तारीख तक अनिवार्यतः जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करेगा ।
18. यदि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/मद से स्वीकृत हुआ हो तो यह आदेश स्वयं निरस्त समझा जावेगा तथा इसकी सूचना लौटती डाक से तत्काल इस कार्यालय को दी जावे ।
19. कार्य स्थल पर बोर्ड प्रदर्शित किया जावे जिसमें योजना का नाम, स्वीकृत वर्ष एवं स्वीकृत राशि तथा मजदूरी दर का उल्लेख हो ।
20. कार्य प्रारंभ के पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्णता पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ लिया जावे, जिसे पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करके जमा किया जावे ।
21. पेयजल व्यवस्था तथा झूलाघर व्यवस्था हेतु लगाये गये श्रमिक का पारिश्रमिक कार्य पर व्यय में शामिल करें तथा उसका भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से किया जावे ।
22. स्थल पर बोर्ड, छाया शेड, झूलाघर, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था आदि हेतु प्रावधानित एवं प्रशासकीय स्वीकृति में शामिल आकस्मिक व्यय की राशि से नियमानुसार किये गये व्यय के व्हाउचर की छायाप्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को भेजी जावे ।
23. किसी भी परिस्थिति में सामग्री का भुगतान मजदूरी के भुगतान से पहले न किया जायें ।


अन्य – यथास्थिति न्यूनतम मजदूरी रु 243.00 प्रतिदिन की दर पर/टास्क रेट भुगतान किया जावे ।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित)


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत, रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. माननीय सांसद महोदय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र अभनपुर/आरंग/धरसीवा/तिल्दा जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - छ.ग. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर रायपुर को सूचनार्थ।
6. माननीय सदस्यक्षेत्र क्रमांक..... व अध्यक्ष जनपद पंचायत अभनपुर/आरंग/धरसीवा/तिल्दा की ओर सूचनार्थ
7. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यगण, जनपद पंचायत अभनपुर/आरंग/धरसीवा/तिल्दा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर/आरंग/धरसीवा/तिल्दा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।
10. उपसंचालक, जनसंपर्क, रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ।
11. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को सूचनार्थ एवं अभिसरण की राशि जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
12. 15 वां वित्त शाखा प्रभारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं अभिसरण की राशि जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
13. डी.एम.एफ. प्रभारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं अभिसरण की राशि जारी किया जाना सुनिश्चित करें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, रायपुर